न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
वाद पत्र : 125/2023
निर्णय दिनांक : 18.12.2024

उनवानी

1. जगदीश पुत्र रामू
2. मिश्रीलाल पुत्र रामू

समस्त जाति यादव निवासीगण ग्राम सीमल्या तहसील चाकसू जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. हनुमान सहाय यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण समस्त जाति यादव निवासीगण ग्राम सीमल्या तहसील चाकसू जिला जयपुर
3. सुरज्ञान पुत्र रामजीवन जाति यादव निवासी गरजोडा की ढाणी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक प्रथम कार्यालय सांगानेर नगर निगम रोड सांगानेर जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एंव स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक: 18.12.2024

वादीगण ने वाद पत्र बाबत विभाजन, एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसमें न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 11.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका, भू-अभि. क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित वादीगण एंव प्रतिवादीगण की सहखातेदारी कृषि भूमि खसरा न. 6165 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 6156 रकबा 0.10 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 हैक्टयर का तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन-तीन प्रतियों मे तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 24.07.2024 से पूर्व पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्रांक – भू0अ0/कुर्रेजात/2024/9033 दिनॉक 05.11.2024 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
वाद पत्र : 125/2023
निर्णय दिनांक : 18.12.2024

उनवानी

1. जगदीश पुत्र रागू
2. मिश्रीलाल पुत्र रागू

समस्त जाति यादव निवासीगण ग्राम सीगल्या तहसील चाकसू जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. हनुमान सहाय यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण समस्त जाति यादव निवासीगण ग्राम सीमल्या तहसील चाकसू जिला जयपुर
3. सुरज्ञान पुत्र रामजीवन जाति यादव निवासी गरजोडा की ढाणी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक प्रथम कार्यालय सांगानेर नगर निगम रोड़ सांगानेर जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एंव स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांकः 18.12.2024

वादीगण ने वाद पत्र बाबत विभाजन, एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसमें न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 11.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका, भू–अभि. क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित वादीगण एंव प्रतिवादीगण की सहखातेदारी कृषि भूमि खतरा न. 6165 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 6156 रकबा 0.10 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 हैक्टयर का तहसीलदार सांगानेर का निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 24.07.2024 से पूर्व पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्रांक – भू0अ0/कुर्रेजात/2024/9033 दिनॉक 05.11.2024 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपस्थित अधिवक्तागण की बहस अंतिम कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। कुर्रेजात रिपोर्ट में कोई भी आपत्ति पेश नही की।

हमने बहस उपस्थित अधिवक्तागण पर मनन किया एवं पत्रावली, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता सख्या 325 खसरा न. 6165 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 6156 रकबा 0.10 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 हैक्टयर हैक्टयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

		राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं के अनुसार इन्द्राज				
क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	325	जगदीश पुत्र रामू हि0 1/4, मिश्रीलाल पुत्र रामू हि0 1/4, सुरज्ञान पुत्र रामजीवन हि0 1/4, बाबूलाल यादव , हनुमान सहाय यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 1/4 जाति अहिर (यादव) सा0 सीमल्या तह. चाकसू खातेदार	6165, 6166	0.07 0.10	बंजड 1 बंजड 1	
		कुल किता	2	0.1700 है0		

		प्रस्तावित कुर्रेजातं इन्द्राज				
क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.	बंजड 1	जगदीश, मिश्रीलाल पुत्र रामू जाति यादव (अहिर) सा. देह. खातेदार	6165 मि. 6166 मि.	0.0430 0.0420	बंजड 1 बंजड 1	
		कुल किता	2	0.0850		
2.		सुरज्ञान पुत्र रामजीवन हि0 1/2 जाति अहिर (यादव) सा. देह. खातेदार, बाबूलाल यादव , हनुमान सहाय यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 1/2 जाति अहिर (यादव) सा0 सीमल्या तह. चाकसू खातेदार	6165 मि. 6166 मि.	0.0270 0.0580	बंजड 1 बंजड 1	
		कुल किता	2	0.0850		

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
वाद पत्र : 125/2023
निर्णय दिनांक : 18.12.2024

उनवानी

1. जगदीश पुत्र रामू
2. मिश्रीलाल पुत्र रामू

समस्त जाति यादव निवासीगण ग्राम सीमल्या तहसील चाकसू जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. हनुमान सहाय यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण समस्त जाति यादव निवासीगण ग्राम सीमल्या तहसील चाकसू जिला जयपुर
3. सुरज्ञान पुत्र रामजीवन जाति यादव निवासी गरजोडा की ढाणी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक प्रथम कार्यालय सांगानेर नगर निगम रोड़ सांगानेर जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एंव स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता सख्या 325 खसरा न. 6165 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 6156 रकबा 0.10 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 हैक्टयर हैक्टयर का तकासमा मुत्ताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

		राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज				
क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	325	जगदीश पुत्र रामू हि0 1/4, मिश्रीलाल पुत्र रामू हि0 1/4, सुरज्ञान पुत्र रामजीवन हि0 1/4, बाबूलाल यादव , हनुमान सहाय यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 1/4 जाति अहिर (यादव) सा0 सीमल्या तह. चांकसू खातेदार	6165, 6166	0.07 0.10	बंजड 1 बंजड 1	
		कुल किता	2	0.1700 है0		

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज

क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.	बंजड 1	जगदीश, गिर्श्रीलाल पुत्र रामू जाति यादव (अहिर) सा. देह. खातेदार	6165 मि. 6166 मि.	0.0430 0.0420	बंजड 1 बंजड 1	
		कुल किता	2	0.0850		
2.		सुरज्ञान पुत्र रामजीवन हि0 1/2 जाति अहिर (यादव) सा. देह. खातेदार, बाबूलाल यादव , हनुमान सहाय यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 1/2 जाति अहिर (यादव) सा0 रीमल्या तह. चाकसू खातेदार	6165 मि. 6166 मि.	0.0270 0.0580	बंजड 1 बंजड 1	
		कुल किता	2	0.0850		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुंहर अदालत के आज तारीख 18.12.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
ओहदा.......

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)